

# न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:-रकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक,खाता तकसीम व तबादला आराजी

नम्बर मुकदमा - 650 / 2022

निर्णय दिनांक:- 21.3.2024

1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया  
2 जसकरण सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा  
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

## -वादीगण

- 1 जगजीत कौर उर्फ जगमीत कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी  
5 बी.जी.पी.एस. दलीयावाली तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 गुरसेमजीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी.  
सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 3 नवदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा  
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 4 ताजमोहम्मद पुत्र जमालदीन जाति राठ सा. खैरुवाला तह. सादुलशहर जिला  
श्री गंगानगर
- 5 इकबाल मोहम्मद पुत्र मुबारकअली जाति राठ सा. खैरुवाली तह. सादुलशहर  
जिला श्री गंगानगर
- 6 हैदरअली पुत्र यासीन खां जाति राठ सा. खैरुवाला तह. सादुलशहर जिला  
श्रीगंगानगर
- 7 गुरप्रीत सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा  
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 8 जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा  
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 9 बलकरण सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा  
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 10 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया जिला हनुमानगढ

## -प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध - अधिवक्ता वादी  
श्री चरणजीत सिंह सिद्ध - अधिवक्ता प्रति स. 1

## निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि जगजीत कौर उर्फ जगमीत कौर वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह की सगी बहिन है। प्रति स. 1 के नाम चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 34/32 खाता जगजीत कौर वगैरा ज.स. 2071-74 के सांझा खाता में कुल 2.783 है 0 आराजी में से सांझा खाता में 2/11 हिस्सा यानि 0.506 है 0 आराजी का हिस्सा दर्ज है। प्रति स. 1 ने अपने उक्त हिस्सा का परित्याग अपने सगे भाई वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में कर दिया है। अतः प्रति स. 1 के नाम दर्ज कुल आराजी, का वादी स. 1 खातेदार काश्तकार हो गया है। अतः वादी स. 1 उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन करवाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

सहायक कलैक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

इसी चक के इसी खाता में प.न. 107/160 मु.न. 21 किला न. 11/.253 है। आराजी का तबादला वादी स. 2 ने वादी स. 1 के साथ कर लिया है व मौका पर उक्त आराजी का कब्जा वादी स. 1 का दे दिया है। व इसके बदले में वादी स. 2 ने चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 8/23 खाता इकबाल मोहम्मद वगैरा ज. स. 2071-74 में वादी स. 1 के नाम दर्ज प.न. 106/161 मु.न. 25 किला न. 5/1/.228 5/2/.025 कुल 0.253 है० आराजी तबादला में वादी स. 2 जसकरण सिंह को दे दी है। वादीगण उक्त तबादला अनुसार ही मौका पर काबिज है। व इसी अनुसार इसका राजस्व रिकार्ड में अंकन अपने नाम करवाकर अपना खाता अलग कायम करवाना चाहते हैं। चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 93/20 खाता इकबाल मोहम्मद वगैरा ज.स. 2071-74 की कुल 4.048 है० आराजी में वादी स. 1 का 7/8 हिस्सा यानि 3.542 है० आराजी का हिस्सा सांझा खाता में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। दावा की दफा 2 व 3 में दर्ज आराजी का वादीगण ने घरु विभाजन व तबादला अनुसार विभाजन कर लिया है। उक्त घरु विभाजन व तबादला अनुसार वादीगण के हिस्सा में निम्न आराजी आई है:-

वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह का हिस्सा:-  
चक 24 ए.एम.पी.

107/160	21	11-12-20-21/.253प्र.	= 1.012 है०
107/158	12	20/.253	= 0.253 है०
107/160	21	13-14-16-17-18-19-22-23-24-25/.253प्र.	= 2.530 है०
107/161	24	4/1/.228 4/2/.025 5/1/.228 5/2/.025	= 0.506 है०
108/158	13	5/1/.228 5/2/.025	= 0.253 है०

बी.

वादी स. 2 जसकरण सिंह का हिस्सा:-  
चक 24 ए.एम.पी.

106/161	25	5/1/.228 5/2/.025	= 0.253 है०
---------	----	-------------------	-------------

वादीगण दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चला आ रहा है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम इसी अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण उनके खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादीगण को मुताबिक तबादला दावा की दफा 2 के मुताबिक खातेदार काश्तकार होना मान लें तथा वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग अलग कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमलदरामद करवा दें। लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रति स. 1 की ओर से श्री चरणजीत सिंह सिद्धू ने वकालतनामा मय सहमति का जवाब दावा पेश किया। प्रति स. 2-3-7 ता 9 की तलबी जरिये साधारण सम्मन होने पर इनके हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति स. 4 ता 6 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन न होने पर इनकी तलबी जरिये समाचार पत्र करवाई गई। इनके हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति स. 10 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

सहायक जज एवं  
उपजज अधिकारी  
गंगरिया

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि प्रति स. 1 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया है। चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 34/32 खाता जगजीत कौर वगैरा ज.स. 2071-74 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह खातेदार काशतकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर इसके नाम दर्ज समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज की जावे व इसी चक के इसी खाता में वादी स. 2 जसकरण सिंह के नाम दर्ज आराजी में से 0.253 है० आराजी का वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह खातेदार काशतकार है। अतः उक्त खाता से वादी स. 2 का 0.253 है० हिस्सा कम किया जाकर इसका राजस्व रिकार्ड में अंकन वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज किया जावे इसी चक के खाता स. 8/23 खाता इकबाल मोहम्मद वगैरा ज.स. 2071-74 में वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज आराजी में से 0.253 है० आराजी का वादी स. 2 जसकरण सिंह को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे व इस खाता से वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह का 0.253 है० हिस्सा कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी स. 2 जसकरण सिंह के नाम दर्ज किया जावे व वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे। अभिभाषक प्रतिवादी स.1 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया। वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं है। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 34/32 खाता जगजीत कौर वगैरा ज.स. 2071-74 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है। वादीगण के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नहीं होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 34/32 खाता जगजीत कौर वगैरा ज.स. 2071-74 में प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह खातेदार काशतकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर इसके नाम दर्ज समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज की जावे व इसी चक के इसी खाता में वादी स. 2 जसकरण सिंह के नाम दर्ज आराजी में से 0.253 है० आराजी का वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह खातेदार काशतकार है। अतः उक्त खाता से वादी स. 2 का 0.253 है० हिस्सा कम किया जाकर इसका राजस्व रिकार्ड में अंकन वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज किया जावे इसी चक के खाता स. 8/23 खाता इकबाल मोहम्मद वगैरा ज.स. 2071-74 में वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज आराजी में से 0.253 है० आराजी का वादी स. 2 जसकरण सिंह को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे व इस खाता से वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह का 0.253 है० हिस्सा कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी स. 2 जसकरण सिंह के नाम दर्ज किया जावे व वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे।

निज.......... मुब्लिक.......... बाबत.......... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 21.3.2024 ..... को जारी की गई।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमे ईबादाई  
(ओ.20 रूल 6-7 जाबा दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सुरेन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख सा. सिंहपुरा तह. संगरिया  
जसकरण सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा  
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

—वादीगण

जगजीत कौर उर्फ जगमीत कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी  
5 बी.जी.पी.एस. दलीयावाली तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

तरसेमजीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी.  
सिंहपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

नवदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा  
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

ताजमोहम्मद पुत्र जमालदीन जाति राठ सा. खैरुवाला तह. सादुलशहर जिला  
श्री गंगानगर

इकबाल मोहम्मद पुत्र मुबारकअली जाति राठ सा. खैरुवाली तह. सादुलशहर  
जिला श्री गंगानगर

हेदरअली पुत्र यासीन खां जाति राठ सा. खैरुवाला तह. सादुलशहर जिला  
श्री गंगानगर

गुरप्रीत सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा  
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा  
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

बलकरण सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 24 ए.एम.पी. सिंहपुरा  
तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया जिला हनुमानगढ

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू — अधिवक्ता वादी

श्री चरणजीत सिंह सिद्धू — अधिवक्ता प्रति स. 1

मु. स. 650/2022

दावा अर्न्तगत धारा 88/53/48/49 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी  
श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एड. वादीगण व श्री चरणजीत सिंह सिद्धू एड. प्रति स.  
1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि  
चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 34/32 खाता जगजीत कौर वगैरा ज.स. 2071-74  
में प्रति स. 1 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह खातेदार  
काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर  
इसके नाम दर्ज समस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह के  
नाम दर्ज की जावे व इसी चक के इसी खाता में वादी स. 2 जसकरण सिंह के  
नाम दर्ज आराजी में से 0.253 है0 आराजी का वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह खातेदार  
काश्तकार है। अतः उक्त खाता से वादी स. 2 का 0.253 है0 हिस्सा कम किया  
जाकर इसका राजस्व रिकार्ड में अंकन वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज  
किया जावे इसी चक के खाता स. 8/23 खाता इकबाल मोहम्मद वगैरा ज.स.  
2071-74 में वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह के नाम दर्ज आराजी मे से 0.253 है0  
आराजी का वादी स. 2 जसकरण सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया  
जावे व इस खाता से वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह का 0.253 है0 हिस्सा कम किया

महायक कलैक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी स. 2 जसकरण सिंह के नाम दर्ज किया जावे व वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे। दावा की दफा 4 निम्नप्रकार से है:-  
वादी स. 1 सुरेन्द्र सिंह का हिस्सा:-

चक 24 ए.एम.पी.

107/160	21	11-12-20-21/.253प्र.	= 1.012 है0
107/158	12	20/.253	= 0.253 है0
107/160	21	13-14-16-17-18-19-22-23-24-25/.253प्र.	= 2.530 है0
107/161	24	4/1/.228 4/2/.025 5/1/.228 5/2/.025	= 0.506 है0
108/158	13	5/1/.228 5/2/.025	= 0.253 है0

वादी स. 2 जसकरण सिंह का हिस्सा:-

चक 24 ए.एम.पी.

106/161	25	5/1/.228 5/2/.025	= 0.253 है0
---------	----	-------------------	-------------

निज..... मुब्लिक..... बाबत..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।  
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 21.3.2023 को जारी की गई।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

